

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

19.04.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

27.05.2024

प्रकरण संख्या  
150/2024

1. राजू पुत्र मोहन कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सीमा सुवालका पत्नी राजू सुवालका आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी नवी मुम्बई कोरप ठाणे महाराष्ट्र

बनाम

प्रार्थीगण

कंकू देवी पत्नी मोहन लाल कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

काना पुत्र धन्ना कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्यारा पुत्र हजारी कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बालू पुत्र हजारी कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रामा पुत्र धन्ना कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

शंकर पुत्र धन्ना कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सोहन पुत्र धन्ना कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्यारा पुत्र बालू कलाल आयु वयस्क निवासी कोदूकोटा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

-विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी अशोक खटीक

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजा कोदूकोटा तह0 कोदूकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 904 की अभिलिखित आराजियात 43, 744, 750, 751 कुल किता 04 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पक्षी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की


  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि भोजा कोदूकोटा प0ह0 कोदूकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 904 की अभिलिखित आराजियात 743, 744, 750, 751 कुल किता 04 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आन्हादे निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा